न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. भीमा पिता मिट्ठू जी कुम्हार, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. खेमा पिता मिट्ठू जी कुम्हार, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. हुका उर्फ सुखलाल पिता मिट्ठू जी कुम्हार, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
4. भगवती पिता हीरा जी कुम्हार, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजु पिता हीरा जी कुम्हार, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. बद्री पिता छगनलाल जी पटेल, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती जमना पत्नी छगनलाल जी पटेल, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. दलीचन्द पिता छगनलाल जी पटेल, निवासी कुम्हारवाडा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव दि. 19.03.2020, प्रकरण संख्या 10/2014

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 11–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक [illegible] अन्तर्गत धारा 53, 188

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थाणा, तहसील ऋषभदेव में आराजी नंबर 553, 554, 556 से 558, 635 से 642, 645 से 652, 685, 691 कुल किता 23 रकबा 7.4350 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादीगण का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीगण ने उक्त भूमि पर नानी पुत्री मंगला (पटेल) डांगी की मृत्यु पश्चात विरासत से मालिकान हक प्राप्त किया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 428 स्वीकृत हुआ है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादीगण झगड़ा करते हैं तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–11–2012 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11–03–2014 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तथा उन्हें सुनकर निर्णय पारित करें।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 19–03–2020 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर यह अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03–02–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। दिनांक 25–01–2023 को जब अपीलान्टगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 5 तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। स्वयं प्रतिवादीगण ने मौके पर बंटवारे अनुसार काबिज होने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में बंटवारा मौके पर कब्जे अनुसार किया जाना चाहिए जबकि प्रारम्भिक डिक्री में नये सिरे से बंटवारा प्रस्ताव मांगा गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री संशोधित फरमायी जाकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के जवाबदावे अनुसार पूर्व में किये गये बंटवाड़ा से काबिज व हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वाद की कमल संख्या 4 में स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार सहमति से मौके पर पांति बंटवारा हो चुका है तथा पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं तथा प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावे की कलम संख्या 4 में इस तथ्य को स्वीकार किया है। अधीनस्थ ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की, जिसमें से तनकी नंबर 4 यह बनायी कि ''आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच पूर्व से ही सहमति से भौतिक बंटवाड़ा हो चुका है। इसलिए पूर्व के बंटवाड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

व मौका स्थिति अनुसार पक्षकारों के मध्य आपसी बंटवारा किया जाना ही न्यायोचित है।'' ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में हुए आपसी सहमति के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीवार विवेचन किये नये सिरे से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य हुए पूर्व में आपसी सहमति के बंटवारे एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकीवार साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested